कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक 3646 /FP/UK/ROAD/10443/2015 दिनॉकःदेहरादूनः 24 मई, 2017

सेवा में,

1. अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत।

2. प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय— जनपद—अल्मोड़ा में सबोली बैण्ड से तौलबुधानी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 7.077 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः— अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत का पत्रांक 918/36सी दिनांक 06—05—2017

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा उपलब्ध कराया गया विषयॉकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव का इस कार्यालय द्वारा परीक्षण किया गया। परीक्षणोंपरान्त प्रस्तावं में निम्नलिखित कमियॉ पायी गई है :—

1. प्रस्ताव बाईडिंग नहीं किया गया है। कृपया प्रस्ताव बाईडिंग कर प्रस्तुत करें तथा प्रस्ताव के प्रपत्र भी सही क्रमांक में नहीं लगाये गये हैं। अतः प्रपत्रों को सही क्रमांक में लगाये जायें।
2. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल का Geo-referenced Map प्रस्ताव में संलग्न किया जाय।
3. लागत लाभ विश्लेषण के प्रपत्र में एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 8.45 लाख दर्शायी गई है, जबकि एन0पी0वी0 के प्रमाण—पत्र में रू0 9.39 लाख निर्धारित की गई है। अतः सही सूचना उल्लेख किया जाय।
4. प्रस्ताव में राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य प्रमाण—पत्र में प्रस्तावित क्षेत्र की हवाई दूरी के दो प्रमाण—पत्र संलग्न किये गये हैं, जिसमें एक में हवाई दूरी 75 किमी0 एवं दूसरे में 21 किमी0 का उल्लेख है। सही प्रमाण—पत्र संलग्न किया जाय।
5. प्रस्ताव में मलवा निस्तारण किस भूमि पर प्रस्तावित किया गया है, उल्लेख नहीं किया गया है। मलवा निस्तारण हेतु उसके क्षेत्रफल का उल्लेख करते हुये भूमि का नाम भी अंकित करें।

कृपया प्रयोक्ता एजेन्सी अपने किसी प्रतिनिधि को भेजकर प्रस्ताव वापस प्राप्त कर लेवें एवं उपरोक्त कमियों का निराकरण कर **पूर्ण प्रस्ताव मूल में** भारत सरकार को प्रेषित करने हेतु सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय को उपलबध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(विनोद कुमार)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी